

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 मार्च 2018—चैत्र 5, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2018

क्र. एफ-ए-3-92-2017-1-पांच (38).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-92-2017-1-पांच (164), दिनांक 30 दिसम्बर 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंक तथा शब्द “सहायक आयुक्त-वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हेतु दिनांक 31 मार्च 2018” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “सहायक आयुक्त-वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हेतु दिनांक 31 मई 2018” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2018

क्र. एफ-ए-3-92-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-92-2017-1-पांच (38), दिनांक 26 मार्च 2018, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 26th March 2018

No. F-A-3-92-2017-1-V-(38).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F A- 3-92-2017-1-V (164), dated 30th December 2017, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the figure and word "**31st March 2018 for Assistant Commissioner-Commercial Tax, Commercial Tax officer and Assistant Commercial Tax Officer**", the figure and word "**"31st May, 2018 for Assistant Commissioner-Commercial Tax, Commercial Tax officer and Assistant Commercial Tax Officer**", shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.